ISSN 0974-0694

भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
INDIAN RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

VOL. 15 No. 1 December 2008

डॉ0 रामदेव त्रिपाठी
प्रधान सम्पादक

सरयूपार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, बस्ती (उ0प्र0) भारत
SARYUPAR ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, BASTI (U.P.) INDIA
Registration No. 571/1988

संरक्षक सदस्य

प्रो0 एस.एल. मलिक	प्रो0 श्री कान्त दीक्षित	डॉ. आर.के. पाण्डेय	डॉ. बी.पी. सिंह	श्रीमती अंजू चौधरी
कुलपति	अध्यक्ष, भूगोल विभाग	प्राचार्य	प्राचार्य	मेयर
दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय	दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय	शि.कि.पी.जी. कालेज	ए.पी.एन.पी.जी. कालेज	गोरखपुर
गोरखपुर	गोरखपुर	बस्ती	बस्ती	

प्रबन्ध सम्पादक
कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी

प्रधान सम्पादक
डॉ. रामदेव त्रिपाठी

सम्पादक
डॉ. राम बरन पटेल

सम्पादक मण्डल :

डॉ0 राम हित त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, डॉ. आर.सी. पाठक, राघवेन्द्र कृष्ण प्रताप, डॉ. राम वचन, डॉ0 हिमांशु पाण्डेय, डॉ0 ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी, डॉ. तूलिका बनर्जी, डॉ. राजकुमार पाठक, डॉ0 रघुवंशमणि त्रिपाठी, डॉ0 डी. एन. शाह, डॉ. राम अवध

सलाहकार सम्पादक मण्डल :

प्रो. जगदीश सिंह, प्रो. माता प्रसाद त्रिपाठी, प्रो. जे.एन. पाण्डेय, प्रो. आर.पी. यादव, प्रो. शिवशंकर वर्मा, प्रो. पी.आर. चौहान, प्रो0 प्रतिभा खन्ना, प्रो0 एस.एन. त्रिपाठी, प्रो. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (गोरखपुर) प्रो. आर.सी. तिवारी, प्रो. एच.एन. मिश्र (इलाहाबाद) प्रो. आर.बी.सिंह, प्रो. राना पी.बी. सिंह (वाराणसी) प्रो. आर.सी. शर्मा, प्रो. नूर मोहम्मद, प्रो. गिरीश्वर मिश्र (दिल्ली) प्रो0 ए0 मुनीर (अलीगढ़) प्रो. एस. एच. अन्सारी (रोहतक) प्रो0 एस.के. सिंह, प्रो. जी.एल. शाह (कुमायूँ) प्रो0 एस.के. शर्मा (सागर) प्रो. डी.डी. मैठाणी (गढ़वाल) प्रो0 पी.एस. तिवारी (चेन्नई)

प्रबन्धकारिणी समिति

डॉ0 कमलेश्वर प्रसाद त्रिपाठी (अध्यक्ष), डॉ. तूलिका बनर्जी (वरिष्ठ उपा.) डॉ. हिमांशु पाण्डेय, माधव प्रसाद धर द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (उपाध्यक्ष), डॉ. रामदेव त्रिपाठी (महामंत्री), डॉ0 राम वचन (संयुक्त मंत्री), डॉ0 बजरंग लाल मौर्य (सहमंत्री), अख्तर हुसेन (कोषाध्यक्ष), इन्द्र देव पति त्रिपाठी, ओंकार सिंह, श्री कृष्ण, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ0 नीतू तिवारी, डॉ0 सौम्या पाल

सरयूपार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
बस्ती, (उ.प्र.) भारत – 272001

कार्यालय :
134/5, गौता चौराहा, साकेतपुरी,
गाँधी नगर, बस्ती (उ.प्र.) 272001
दूरभाष – 05542–283952
मो0 – 9235776248

उप कार्यालय :
स्नातकोत्तर भूगोल विभाग
शिवहर्ष किसान पी.जी. कॉलेज
बस्ती (उ.प्र.) 272001

ISSN : 0974-0694

भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

INDIAN RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

VOL. 15 No. 1 December 2008

डॉ0 रामदेव त्रिपाठी
प्रधान सम्पादक

सरयूपार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, बस्ती (उ0प्र0) भारत
SARYUPAR ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, BASTI (U.P.) INDIA
Registration No. 571/1988

अनुक्रम

पृष्ठ संख्या

1. **शिवालिक प्रदेश के अपवाह घनत्व का क्षेत्रीय विश्लेषण** 1-9
डॉ0 देवी प्रसाद उपाध्याय, रीडर, भूगोल विभाग, टी.डी. कॉलेज, जौनपुर (उ.प्र.)
दीपिका सिंह, शोध छात्रा, भूगोल विभाग, टी.डी. कॉलेज, जौनपुर (उ.प्र.)

2. **गढ़वाल हिमालय की पूर्वी नयार प्रवाह वेसिन में सरिता श्रेणी, आकार, ज्यामिति, वक्रता सूचकांक तथा अपरदन : एक अध्ययन** 10-20
डॉ0 गायत्री प्रसाद, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
कु. ऋतु बड़थ्वाल, शोध छात्रा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

3. **फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान-सुप्रबन्धित उच्चांश पर्यटन एवं यात्रा का अनुपम संयोग** 21-26
डॉ0 अनिता रूडोला, उपाचार्य, भूगोल विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर, पौड़ी गढ़वाल
डॉ0 राजेश भट्ट, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर, पौड़ी गढ़वाल

4. **सरगुजा प्रक्षेत्र में स्त्री-पुरूष अनुपात : एक भौगोलिक विश्लेषण** 27-30
डॉ. बी.पी. कश्यप, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, शा.दू.ब. महिला स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

5. **धनघटा तहसील (जनपद सन्त कबीर नगर) में सिंचाई एवं कृषि उत्पादकता** 31-34
जय प्रकाश, शोध छात्र, भूगोल विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)
डॉ0 बी0बी0 पाण्डेय, रीडर, भूगोल विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

6. **प्राकृतिक आपदा 'बाढ़' (जलप्लावन) का ऐतिहासिक अध्ययन** 35-38
मेहरबान सिंह गुसांई, प्रवक्ता, इतिहास विभाग, एस0जी0आर0आर0 पी0जी0 कालेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)
डॉ0 संतोष वर्मा, रीडर, भूगोल विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

7. **सामाजिक विज्ञानों में शोध विधितंत्र : कुछ समस्याएं एवं सुझाव** 39-40
डॉ0 राम सूरत त्रिपाठी, रीडर, भूगोल विभाग, अतर्रा पी.जी. कॉलेज, अतर्रा, बांदा (उ0प्र0)
डॉ0 अनिल कुमार तिवारी, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, अतर्रा पी.जी. कॉलेज, अतर्रा, बांदा (उ0प्र0)

8. **टीकमगढ़ जिला (म.प्र.) में पर्यटन की सम्भावनायें** 41-44
डॉ0 आर0 पी0 तिवारी, प्रोफेसर, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म0प्र0)
भगवत नारायण रैकवार, शोध छात्र, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म0प्र0)

9. **मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव** 45-50
डॉ. देवेन्द्र सिंह ठाकुर, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह (म.प्र)
एम. एस. निगवाल, भूगोल विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह (म.प्र)

10. **राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा : बांग्लादेशी शरणार्थी** 51-53
डॉ आलोक मिश्र, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, एस0ई0एन0 इण्टर कॉलेज, तेराजाकट, कन्नौज (उ0प्र0)
डॉ अनिल कुमार तिवारी, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, अतर्रा पी.जी. कॉलेज, अतर्रा, बाँदा (उ0प्र0)

11. जनपद सिद्धार्थनगर के शस्यगत गहनता में सिंचाई की भूमिका 54-56
डॉ0 बी.एन. दूबे, रीडर, भूगोल विभाग, ए.पी.एन. पी.जी. कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

12. **महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता** 57-60
डॉ0 शम्भू राम, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)
डॉ0 राजेश कुमार सिंह, प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)

Indian Research Journal of Social Sciences
Vol. 15 No. 1 December 08

महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता

डॉ0 शम्भू राम*
डॉ0 राजेश कुमार सिंह**

महिलाएं उत्पादिका, पोषिका, गृहस्थ आश्रम की संचालिका, शक्ति स्वरूपा और सृष्टि को मूर्त रूप देने वाली हैं। यदि नारियों के अधिकारों की सुरक्षा होती है तो परिवार, ग्राम, राष्ट्र और विश्व का सर्वांगीण विकास होता है। नारी जाति पर विचार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक कार्य प्रारम्भ किये हैं। महिलाओं के सन्दर्भ में विश्व मानव अधिकार की व्यवस्थाएं इसी के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। मानवाधिकार विश्व मानवता के पक्ष में उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल देते हैं। विकासशील देशों में समुन्नत विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध महिलाओं की अपेक्षित स्थिति का न होना है। आदर्श विश्व की स्थापना केवल पुरूष नहीं कर सकते, वरन् महिलाओं की सहभागिता नितान्त आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब महिलाओं की उन्नति एवं उनके सम्मान को संरक्षित एवं संवर्द्धित किया जाये। इस सन्दर्भ में महिलाओं पर आधारित प्रथम सम्मेलन **मैक्सिको** (1975), **द्वितीय कोपेनहेगेन** (1980), **तृतीय नैरोबी** (1985), **चतुर्थ बीजिंग** (1990) में हुए, जिनमें क्रमशः समानता, विकास तथा शान्ति, शिक्षा नियोजन तथा स्वास्थ्य, अग्रिममुखी स्त्रेता कौशल, महिलाओं की निर्धनता, शिक्षा के अपर्याप्त एवं असमान अवसर, स्वास्थ्य की अपर्याप्त एवं असमान सुविधाएं, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, आर्थिक संरचना एवं नीतियों में महिलाओं की अल्प सहभागिता, शक्ति एवं निर्णय निर्माण में असमान सहभागिता, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति जानकारी एवं प्रतिबद्धता का अभाव, समाज में महिलाओं के योगदान का मीडिया द्वारा प्रसारण में पर्याप्त महत्व न देना आदि विद्यमान हैं। यद्यपि कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था और संयुक्त राष्ट्र महासभा इनके अधिकारों के प्रति निरन्तर चिन्तित है। वर्तमान विश्व के अनेक संगठनों और सहयोगों तथा सरकारी प्रयासों के कारण महिलाओं के अधिकारों में परिवर्तन अवश्य हुए हैं, परन्तु पर परिवर्तन बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है।

भारत में महिला सशक्तिकरण कि अवधारणा की विधिवत् शुरूआत 1985 में सम्पन्न **नैरोबी** के उस **अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन** में आई, जिसमें नारी सशक्तिकरण पर बल दिया गया था। वैसे तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भी बंगाल सती कानून (1829), हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), विशेष विवाह अधिनियम (1872), बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम (1929), हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम (1937) और हिन्दू विवाह अयोग्यता कानून पारित हो चुके थे। स्वतंत्र भारत में महिलाओं के अधिकार संरक्षण के लिए भारतीय संसद ने अनेक कानून बनाये। यथा-विशेष विवाह कानून (1954), हिन्दू विवाह कानून (1955 56), हिन्दू बाल संरक्षण कानून (1956), हिन्दू बाल विवाह प्रतिरोधक कानून (1956), अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून (1956), दहेज प्राविधान कानून (1961) आदि। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) में सन् 2005 में संशोधन करते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को भी वही अधिकार दिया गया है, जो पुत्र को प्राप्त था। इस अधिनियम में पूर्व में मृत पुत्री की सन्तानों को वही अधिकार दिया गया, जो पूर्व में मृत पुत्र के सन्तानों को प्राप्त है। सन् 2005 में संसद ने महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया। इसके अन्तर्गत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न सहित सभी तरह की पारिवारिक एवं सामाजिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का भी प्राविधान दिया गया है। महिलाओं को और भी अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2006 को विवाह का पंजीयन अनिवार्य करके दिया। न्यायिक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक मील का पत्थर है। इससे पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह पंजीयन पर केन्द्रीय कानून बनाने की अनुशंसा की थी। इस कानून के बन जाने पर पुरूषों द्वारा विवाह को नकारने की घटनाओं पर रोक लग जायेगी। इसके बन जाने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ससुराल जनों अथवा पति के द्वारा विवाह को नकारने की स्थिति में विवाह को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी महिला पर न होकर न्यायालय की होगी। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी को कानून के विरूद्ध बताया गया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व

*रीडर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)
**प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)

महिलाओं की गिरफ्तारी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही हो सकती है। बाल-विवाह प्रतिरोध विधेयक (2004), राज्य सभा द्वारा (दिसम्बर, 2006) में पारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार बाल-विवाह कराने वाले माता-पिता के लिये दण्ड का प्राविधान है। साथ ही ऐसे विवाह से असन्तुष्ट महिला की शिकायत पर विवाह को शून्य ठहराये जाने का भी प्राविधान है।

स्त्रियों के अधिकारों को संरक्षित करने तथा उन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने वाली संवैधानिक व्यवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है -

1. अनुच्छेद 14 में व्यक्ति को विधि के समक्ष अथवा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को दिया गया है। यह अनुच्छेद महिला तथा पुरूष दोनों के मामले में लागू होता है।
2. अनुच्छेद-15 में कहा गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के हितों को देखते हुए बनाया गया कोई कानून इस अनुच्छेद के विरूद्ध नहीं माना जायेगा।
3. अनुच्छेद-16 में महिलाओं और पुरूषों के समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था है। साथ ही लोक नियोजन में पुरूष तथा महिला को समान अवसर दिये जाने का निर्देश है।
4. अनुच्छेद-23, 24 में नारी के शोषण, बलात् श्रम, महिलाओं का क्रय-विक्रय इत्यादि पर रोक लगाये जाने का निर्देश है।
5. अनुच्छेद-39 के अनुसार राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे स्त्री-पुरूष दोनों के जीवन-निर्वाह की स्थितियां बनें तथा दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके।
6. अनुच्छेद-42 के अनुसार महिलाओं को प्रसूति में वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उन्हें मानवीय आधार पर आवश्यक हों।

संविधान में प्रदत्त महिलाओं के अधिकारों को सम्यक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनों का निर्माण किया जाता रहा है। कन्या भ्रूणों को प्रसव के पूर्व ही नष्ट कर दिये जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीकि अधिनियम (1994) लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग जांच अवैध कर दिया गया है। महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए वेश्यावृत्ति अधिनियम (1955), अनैतिक देह व्यापार अधिनियम (1959) पारित किये गये। सन् 1959 के अधिनियम को 1986 में संशोधित कर दिया गया। दहेज की कुप्रथा को समाप्त कर देने के उद्देश्य से दहेज निषेध अधिनियम (1961) तथा महिलाओं को प्रसूति सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961) लागू किया गया। सती निषेध अधिनियम (1987), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1976), सती निषेध अधिनियम (1986) लगू किया गया।

सन् 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। यह विभाग महिला एवं बच्चों के विकास की देख-देख के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के अवैध, व्यापार योन-उत्पीड़न तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अन्य अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए सन् 1998 में राष्ट्रीय कार्यवाही योजना तैयार की गयी थी। इसके अन्तर्गत दुराचार की शिकार स्त्रियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है, जो विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय मन्त्रालयों के सदस्यों के साथ मिलकर काम करती है। राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

केन्द्र सरकार ने 31 जनवरी 1992 को **राष्ट्रीय महिला आयोग** की स्थापना किया। इसमें एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। इन समस्त की नियुक्तियाँ केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग का मुख्य कार्य भारतीय संविधान तथा अन्य प्रचलित विधियों की परिधि में रहते हुए महिलाओं को प्राप्त अधिकारों के हनन से सम्बन्धित मामलों की जांच करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों और अन्य विधियों की समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु संस्तुति करना है। यहाँ आयोग इस तथ्य की भी जाँच करता है कि किन क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह आयोग इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वाह करता है।

केन्दीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। इसकी स्थापना अगस्त 1953 में हुई थी। इस बोर्ड ने अनेक कार्यक्रम चलाए, जिसमें जरूरतमन्द महिलाओं के समाजिक, आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम तथा ग्रामीण-निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने वाली परियोजनाएं, पारिवारिक परामर्श केन्द्र, बच्चों के लिए अवकाश शिविर, सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण और बालवाड़ियां कामकाजी

महिलाओं के लिए शिशु सदन और हास्टल की सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

भारतीय सन्दर्भ में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान इस तथ्य से ही प्रकट हो जाता है कि अभी मात्र 54.16 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हो पायी हैं, जबकि निरक्षरता के कारण ही ये भेद-भाव, शोषण व उपेक्षा के दलदल में धँसती रही है। इससे बाहर निकालने का कभी भी वास्वविक प्रयास परिवार और शासन-प्रशासन ने नहीं किये। समाचार पत्र-पत्रिकाओं, टीवी चैनल, सर्वेक्षणों व शोध ग्रन्थों से यह तथ्य उभरकर सामने आते हैं कि शासन को जटिल प्रक्रियाओं के कारण जब पुरूषों को आयु, जाति, निवास, गरीबी रेखा आदि के प्रमाण-पत्र बनवाने में शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वे हारकर इनके अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, तब महिलाओं को उनका लाभ प्राप्त करना कहाँ तक सम्भव है। एक तो वे घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं और परिवार के अधिकतर पुरूष उन्हें कार्यालय में जाने व महिला कार्यक्रमों का लाभ उठाने हेतु हतोत्साहित ही करते हैं।

ग्राम्यांचलों में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज के अन्तर्गत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व गोष्ठियों में उनके पतियों द्वारा होता है, जो निश्चय ही महिलाओं की जर्जर स्थिति का सूचक है। जैसे-जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाये जा रहे हैं, वैसे-वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ भी चढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नीवनतम आंकड़े वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। प्रति 24 मिनट में एक महिला यौन-शोषण, प्रति 43 मिनट में अपहरण, प्रति 54 मिनट में बलात्कार का शिकार हो रही हैं। भारत में 102 मिनट के अन्तराल में एक औरत दहेज उत्पीड़न की भेंट चढ़ जाती है। विभिन्न कानूनों के होते हुए भी महिलाओं को समान कार्य करने पर समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्हें उत्तराधिकार व सम्पत्ति में भी समानता प्राप्त नहीं है। 73 वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा अब तक मात्र ग्रामीण व नगरीय स्थानीय निकायों में ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिला है। संसद और राज्य विधान मण्डलों में इनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम ही है, जिससे वे महिलाओं के पक्ष में अपेक्षित सुधार नहीं करवा पा रही हैं। और वे न तो ही शासन द्वारा और न ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस दिशा में गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के यौन-उत्पीड़न, भद्दे कटाक्ष, अश्लील हरकतें आदि से सम्बन्धित आये दिन प्रकाशित होने वाले समाचार नारी अवदशा की वास्तविक स्थिति के सूचक हैं।

भारत में सन् 1901 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 972 महिलाओं का था जो धीरे-धीरे कम होते हुए सन् 2001 में 933 (कतिपय अपवादों को छोड़कर) पर पहुंच गया। वर्ष 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1991 व 2001 में लिंगानुपात क्रमशः 972, 964, 955, 950, 945, 946, 941, 930, 934, 927 तथा 933 था। इस प्रकार एक शताब्दी में प्रति हजार पुरूषों पर 39 महिलाओं की कमी आयी। भारत में लिंगानुपात का लगातार गिरता यह ग्राफ इस बात का सूचक है कि गर्भ में बच्चियां मारी जा रही हैं। बेजुबानों की हत्या के लिए विज्ञान के नये ढंग प्रयोग में लाये जा रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो लिंगानुपात का ग्राफ इतना न गिरता। हालांकि लिंगानुपात के गिरते ग्राफ का कन्या भ्रूण हत्या की एक मात्र कारण नहीं है। इसके अन्य कारण शैशवावस्था, प्रारम्भिक बचपन एवं जनन काल में बालिकाओं/महिलाओं के मृत्यु दर का होना आदि भी जिम्मेदार हैं।

देश के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात भिन्न-भिन्न है और लिंगानुपात के मामले में कुछेक राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ज्यादातर राज्यों की स्थिति बेहद खराब है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात अनुकूल है, अर्थात् स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक (1000 पुरूषों पर 1058 स्त्रियाँ) हैं, पुदुचेरी एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात लगभग सन्तुलित (1000 पुरूषों पर 1001 स्त्री) है। इसके विपरीत अन्य सभी 33 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात काफी प्रतिकूल है। अर्थात् स्त्रियों की संख्या पुरूषों से कम है। इन 33 राज्यों में भी 7 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों- पंजाब, हरियाणा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, चण्डीगढ़ और दमन व दीव की स्थिति तो सबसे अधिक खराब है, क्योंकि इनमें 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 875 से भी कम है।

लेखकगण ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्र प्रेक्षित किये गये, जिसके आधार पर यह तथ्य प्रकट होता है कि संविधान के विभिन्न संशोधन, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं की रक्षा के लिए बनाये गये कानून आदि प्रयास सरकारी अभिलेखों तक ही सीमित हैं, उनका आंशिक प्रभाव ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। यदि ऐसा ही रहा तो लेख के प्रारम्भ में उद्धृत महिलाओं के लिए प्रयुक्त किये गये उत्कृष्ट, विशेषण, निश्चय ही अर्थहीन एवं अप्रासंगिक हो जायेंगे।

References :

1. Citizens fifth Report. 2007. Govt. of India, Home Ministry.
2. Census. 2001, Director General of Census. Primary Census Abstract.
3. B L. Grover and Yashpal Bhartiya Swatantra Sangram Tatha Samvaidhanik Vikas (S. Chand & Company. Ram Nagar. New Delhi)
4. Dr. B L. Fadia - Antarashtriya Sambandh. Sahitya Bhawan Publication. Agra